भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/306
विवि.सीआरई.आरईसी.225/07-03-006/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025

विषय सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2
अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड 4
अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 13
अनुबंध - I 14
अनुबंध II 16

परिचय

किसी बैंक का अपने प्रतिपक्षों और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के प्रति एक्सपोज़र का संकेंद्रण काफ़ी जोखिम पैदा करता है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक्सपोज़र का संकेंद्रण ऋण निगरानी व्यवस्था (सीएमए) और अन्य विनियामक अनुदेशों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अध्यधीन है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21, 27 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मजबूत जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

क. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे।

ख. प्रयोज्यता

3. यह निदेश ग्रामीण सहकारी बैंकों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'आरसीबी' और व्यक्तिगत रूप से 'आरसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

इस संदर्भ में, ग्रामीण सहकारी बैंकों का अर्थ राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक होगा, जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में परिभाषित किया गया है।

ग. अनुपालन न करने पर दंडात्मक परिणाम

4. इन निदेशों में निहित किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने पर, यथालागू पर्यवेक्षी और प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

घ. परिभाषाएं

5. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन निदेशों में दिए गए पदों के अर्थ वही होंगे, जो नीचे दिए गए हैं:

(1) **“पूंजी निधि”** या **“सीएफ”** में चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि शामिल होगी । स्थिर आस्तियों आदि के पुनर्मूल्यांकन से सृजित रिजर्व, यदि कोई हो, तो इस प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किए जाएंगे।

(2) **"केंद्रीय सहकारी बैंक"** और "**राज्य सहकारी बैंक"** के अर्थ क्रमशः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) में उन्हें दिए गए अर्थ होंगे।

(3) "**एक्सपोजर**" में आरसीबी द्वारा या तो अपने स्वयं के संसाधनों से या उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता में से दी गई कार्यशील पूंजी सीमा, अल्पकालिक/अस्थायी ऋण और सावधि ऋण, अंतरिम / ब्रिज ऋण जैसी ब्लॉक पूंजी सुविधाएं शामिल होंगी। इसमें गैर-वित्तपोषित वित्तीय सुविधाएं जैसे गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट आदि भी शामिल होंगे। स्वीकृत सीमा या बकाया ऋण, जो भी अधिक हो, नकद ऋण सीमा के मामले में एक्सपोजर के निर्धारण के लिए गिना जाएगा। सावधि ऋण के मामले में, बकाया राशि को एक्सपोजर के उद्देश्य से गणना में लिया जा सकता है। हालांकि, गैर-वित्तपोषित ऋण सीमा के मामले में, ऐसी सीमाओं का केवल 50 प्रतिशत, या बकाया, जो भी अधिक हो, को इस उद्देश्य के लिए गणना में लिया जा सकता है।

(4) "**व्यक्तियों**" में व्यक्ति, साझेदारी फर्मों में व्यक्तिगत भागीदार, एकमात्र मालिक, साझेदारी फर्म और अनिगमित निकाय शामिल होंगे।

(5) “**इकाइयों**" में निगमित निकाय शामिल होंगे जो "व्यक्तियों" की परिभाषा से बाहर हैं।

(6) "**उधार देने योग्य संसाधन"** या "**एलआर"** की गणना शेयर पूंजी, कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष (एसीएसएफ) के तहत शेष राशि को छोड़कर प्रावधानों सहित रिज़र्व, जमा और उधार को जोड़कर व इष्टतम चलनिधि आस्तियों (डीटीएल का 35 प्रतिशत), स्थिर आस्तियों, संचित हानियों और किसी भी अन्य प्रतिबद्धताओं (ऋण और अग्रिमों को छोड़कर) को घटाकर की जाएगी।

6. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के तहत या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने के रूप में, जैसा भी मामला हो, के तहत उन्हें सौंपा गया है।

अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड

क. बोर्ड की भूमिका

7. एक आरसीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक नीति लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे, जिनका ब्यौरा आगामी पैरा में दिया गया है।

(i) व्यक्तियों को ऋण और अग्रिमों की मंजूरी के लिए नीति.

(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा-रिहाइशी-आवास (सीआरई-आरएच) के वित्तपोषण के लिए नीति।

ख. दायरा

8. राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) दोनों के लिए एक्सपोजर मानदंड समान होंगे, भले ही वित्तपोषित इकाई सहकारी दायरे के भीतर हो या सहकारी दायरे के बाहर हो।

9. एक्सपोजर मानदंड निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे

(1) प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) और अन्य ऋण समितियों को स्वीकृत/बकाया ऋण;

(2) 'कृषि' और 'संबद्ध' उद्देश्यों के लिए ऋण;

(3) नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरसीबी द्वारा व्यक्तिगत हथकरघा/पावरलूम बुनकरों को उनकी बुनाई गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान किया गया;

(4) ऐसे मामले जहां आरसीबी ने नाबार्ड से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किया है,
बशर्ते कि ऐसे मामलों में, आरसीबी भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 का अनुपालन करेगा; *तथा*

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से निर्धारित ऋण सीमाएं (जैसे खाद्य ऋण सीमाएं, और आवास (नीचे पैरा 12 के तहत दिए गए उदाहरण भी देखें) आदि प्रयोजनों के लिए,)

नोट: कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके लिए आरसीबी को कट-ऑफ सीमा से अधिक कुछ इकाइयों/क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, आरसीबी, प्रासंगिक विवरण के साथ, नाबार्ड से विशिष्ट छूट की मांग कर सकता है। नाबार्ड, असाधारण मामलों में, आरसीबी को व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष के आधार पर एक्सपोजर सीमा से अधिक इस तरह के वित्त प्रदान करने की अनुमति दे सकता है।

ग. व्यक्तिगत एक्सपोज़र सीमाएँ – आवास ऋण के अलावा

10. आरसीबी सहकारी प्रसंस्करण समितियों में शेयरों की खरीद के लिए व्यक्तियों को वित्त प्रदान करना जारी रख सकता है।

11. व्यक्तियों को ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में *अन्य बातों के साथ-साथ* उद्देश्य-वार सीमाएं, पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, आस्तियों के भौतिक/आवधिक सत्यापन आदि सहित की जाने वाली निगरानी से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे, जो आवास ऋणों के अलावा अन्य ऋणों के लिए नीचे तालिका में निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होंगे। आरसीबी को जहां आवश्यक हो, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और व्यक्तियों के वित्तपोषण के लिए अपने उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए।

निरीक्षण रेटिंग	**व्यक्तियों के वित्तपोषण की अधिकतम सीमा** (₹ लाख में)
A	60
B, B+	40
C	25
D	25

घ. व्यक्तिगत एक्सपोज़र सीमाएँ – आवास ऋण

12. आरसीबी द्वारा एक व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत रिहाइशी-आवास ऋण की सीमाएं निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

क्र सं	**आरसीबी की श्रेणी**	**सीमा (प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)**
1.	आरसीबी जिसकी निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम आंकी गई हो।	50
2.	आरसीबी जिसकी निवल मालियत ₹100 करोड़ या उससे ज़्यादा आंकी गई हो।	75

बशर्ते कि यदि व्यक्तिगत उधारकर्ता ने पहले से ही इस अध्याय के खंड-ग में निर्धारित सीमा के भीतर किसी अन्य गतिविधि के लिए ऋण या आवास ऋण का लाभ उठाया है, तो अतिरिक्त आवास ऋण या अन्य ऋण के लिए सीमा, निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाएगी:

i. यदि आरसीबी के पास पहले से ही खंड-ग में निर्धारित व्यक्तिगत उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर है, तो खंड-घ में निर्धारित उस व्यक्तिगत उधारकर्ता को आवास ऋण के तहत एक्सपोजर (ए) अधिकतम आवास ऋण एक्सपोजर या (बी) अधिकतम पात्र सीमा, इसमें जो भी अधिक हो, उसमें से, खंड-ग के तहत व्यक्तिगत उधारकर्ता को एक्सपोजर, को घटाने के बाद प्राप्त राशि तक सीमित होगा।

ii. यदि किसी आरसीबी के पास पहले से ही खंड-घ में निर्धारित आवास वित्त मानदंडों के तहत एक्सपोजर है, तो उस व्यक्तिगत उधारकर्ता को खंड-ग के तहत एक्सपोजर खंड-ग के तहत अधिकतम अनुमेय एक्सपोजर से व्यक्तिगत उधारकर्ता द्वारा प्राप्त आवास वित्त को घटाने के बाद प्राप्त राशि तक सीमित होगा। यदि आवास वित्त के तहत एक्सपोजर किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता को खंड-ग के तहत अनुमत अधिकतम एक्सपोजर से अधिक है, तो उस व्यक्तिगत उधारकर्ता को आगे कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा।

(क). *उदाहरण – 1*

i. **एक आरसीबी जिसकी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	**एक्सपोजर मानदंड**		**'व्यक्तिगत' श्रेणी (खंड ग) के तहत उधारकर्ता द्वारा पहले से ही लिया गया ऋण - आज की तारीख में बकाया**	**अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड सी) या आवास)**	
	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	**आवास**		**व्यक्तिगत आवास ऋण**	**व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)**
A	60	75	60	15	शून्य
B, B+	40	75	40	35	शून्य
C	25	75	25	50	शून्य
D	25	75	25	50	शून्य

ii. **आरसीबी जिसकी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	**एक्सपोजर मानदंड**	**'व्यक्तिगत' श्रेणी (खंड ग) के तहत उधारकर्ता द्वारा पहले से ही लिया**	**अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड सी) या आवास)**

	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास	गया ऋण - आज की तारीख में बकाया	व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	50	60	शून्य	शून्य
B, B+	40	50	40	10	शून्य
C	25	50	25	25	शून्य
D	25	50	25	25	शून्य

(ख). ***उदाहरण – 2***

i. **एक आरसीबी जिसकी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	एक्सपोजर मानदंड		'व्यक्तिगत' श्रेणी (खंड ग) के तहत उधारकर्ता द्वारा पहले से ही लिया गया ऋण - आज की तारीख में बकाया	अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड ग) या आवास)	
	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास		व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	75	75	शून्य	शून्य
B, B+	40	75	75	शून्य	शून्य
C	25	75	75	शून्य	शून्य
D	25	75	75	शून्य	शून्य

ii. **एक आरसीबी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	एक्सपोजर मानदंड	'व्यक्तिगत' श्रेणी (खंड ग) के तहत उधारकर्ता द्वारा	अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड ग) या आवास)

	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास	पहले से ही लिया गया ऋण - आज की तारीख में बकाया	व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	50	50	शून्य	10
B, B+	40	50	50	शून्य	शून्य
C	25	50	50	शून्य	शून्य
D	25	50	50	शून्य	शून्य

(ग). *उदाहरण – 3*

i. **एक आरसीबी जिसकी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	एक्सपोजर मानदंड		'व्यक्तिगत' श्रेणी (खंड ग) के तहत उधारकर्ता द्वारा पहले से ही लिया गया ऋण - आज की तारीख में बकाया	अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड ग) या आवास)	
	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास		व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	75	30	45	30
B, B+	40	75	30	45	10
C	25	75	20	55	05
D	25	75	25	50	शून्य

ii. **एक आरसीबी जिसकी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	एक्सपोजर मानदंड	‘व्यक्तिगत’ श्रेणी (धारा-ग) के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा पहले से	अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड ग) या आवास)

	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास	लिया गया ऋण - दिनांक में बकाया राशि	व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	50	30	20	30
B, B+	40	50	30	20	10
C	25	50	20	30	05
D	25	50	15	35	10

(घ). *उदाहरण – 4*

i. **एक आरसीबी जिसकी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	एक्सपोजर मानदंड		'व्यक्तिगत' श्रेणी (खंड ग) के तहत उधारकर्ता द्वारा पहले से ही लिया गया ऋण - आज की तारीख में बकाया	अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमा (खंड ग) या आवास)	
	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास		व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	75	15	60	45
B, B+	40	75	35	40	05
C	25	75	50	25	शून्य
D	25	75	50	25	शून्य

ii. **एक आरसीबी आकलन की गयी निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम है**

(₹ लाख में)

रेटिंग श्रेणी	एक्सपोजर मानदंड	व्यक्तिगत उधारकर्ता द्वारा पहले ही लिया गया आवास ऋण -	अतिरिक्त पात्र सीमा (या तो व्यक्तिगत सीमाएं (धारा सी) या आवास)

	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)	आवास	आज की तारीख में बकाया	व्यक्तिगत आवास ऋण	व्यक्तिगत सीमाएं (खंड ग)
A	60	50	50	शून्य	10
B, B+	40	50	40	10	शून्य
C	25	50	25	25	शून्य
D	25	50	25	25	शून्य

स्पष्टीकरण: निवल मालियत की गणना के लिए, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को इसमें शामिल नहीं किया गया है।;

(ii) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान के केवल उस हिस्से को लिया जाएगा जो विनियामक आवश्यकता से अधिक है अर्थात, भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 के अनुसार आवश्यक है; और

(iii) एनपीए के लिए किए गए प्रावधान के केवल उस हिस्से को लिया जाएगा जो निर्धारित आवश्यकता से अधिक है और उस सीमा तक जहा तक निवल एनपीए की गणना के लिए समायोजित नहीं किया गया है।

निवल मालियत की गणना के लिए प्रारूप अनुबंध II में प्रस्तुत किया गया है।

13. मौजूदा मकानों की मरम्मत, परिवर्धन, परिवर्तन आदि के लिए, प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता ऋण की अधिकतम राशि खंड ग और खंड घ में निर्धारित सीमा के भीतर, ₹1 लाख तक होगी।

ङ. इकाई-वार और क्षेत्र-वार एक्सपोज़र सीमाएँ

14. इकाई-वार एक्सपोजर मानदंड को पूंजी निधि (सीएफ) से जोड़ा जाएगा, जबकि क्षेत्र-वार एक्सपोजर मानदंडों को आरसीबी की नवीनतम लेखा परीक्षित तूलन-पत्र के 31 मार्च पर उधार देने योग्य संसाधन (एलआर) से जोड़ा जाएगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 (6) के तहत किए गए आरसीबी के निरीक्षण के बाद नाबार्ड द्वारा दी गई आरसीबी की 'रेटिंग' पर आधारित होगा।

निरीक्षण रेटिंग	सीएफ के प्रतिशत के अनुसार इकाई-वार एक्सपोजर	एलआर के प्रतिशत के अनुसार क्षेत्र-वार एक्सपोजर
A	60	50
B, B+	50	40

C	45	35
D	40	30

15.एक आरसीबी ऋण जोखिम का मूल्यांकन स्वयं करेगा, खासकर जब बड़े उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वाणिज्यिक निर्णय और बाजार की जानकारी के आधार पर अपने स्वयं के ऋण निर्णय लेता है। ऋण जोखिम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, आरसीबी एक इकाई के प्रति अपने एक्सपोजर को संबंधित इकाई के 'निवल स्वाधिकृत निधियों' के भीतर प्रतिबंधित कर सकता है।

च. आवास वित्त के लिए एक्सपोजर की कुल सीमा

16. आवास वित्त के लिए आरसीबी का कुल एक्सपोजर उसकी कुल आस्ति के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा। कुल आस्तियों की गणना पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च पर लेखा परीक्षित तुलन पत्र के आधार पर की जाएगी.

छ. वाणिज्यिक स्थावर संपदा -रिहाइशी आवास

17. कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण देने की अपनी प्राथमिक भूमिका को देखते हुए, आरसीबी को वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र के वित्तपोषण से बचना चाहिए। हालांकि, उन्हें नीचे दिए गए पैराग्राफ 18 के संदर्भ में सीआरई-आरएच को वित्तपोषित करने की अनुमति दी गई है।

18. एक आरसीबी अपनी कुल आस्ति के पांच प्रतिशत की मौजूदा कुल आवास वित्त सीमा (पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च पर लेखा परीक्षित तुलन पत्र के आधार पर) के भीतर वाणिज्यिक स्थावर संपदा - रिहाइशी आवास (सीआरई-आरएच) को वित्त प्रदान कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, सीआरई-आरएच में रिहाइशी आवास परियोजनाओं (कैप्टिव खपत को छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स को दिए जाने वाले ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में आमतौर पर गैर-आवासीय वाणिज्यिक स्थावर संपदा शामिल नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कुछ वाणिज्यिक स्थान (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, आदि) सहित एकीकृत आवास परियोजनाओं को भी सीआरई-आरएच के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

बशर्ते कि आवासीय आवास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र, परियोजना के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। सीआरई-आरएच अग्रिमों के लिए 0.75 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान और 75 प्रतिशत का जोखिम भार बनाए रखा जाएगा।

19. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में सीआरई-आरएच का वित्तपोषण शामिल होगा और सीआरई-आरएच पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर एक समीक्षा नोट कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

ज. विवरणियों / रिपोर्ट की निगरानी

20. एक आरसीबी तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर नाबार्ड के इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करने के लिए पोर्टल (ENSURE पोर्टल) में अपना सीएमए-1 रिटर्न जमा करेगा, जैसा कि नीचे बताया गया है.

समाप्त तिमाही (क्यूई)	आरसीबी द्वारा ENSURE पोर्टल में सीएमए-1 रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि
जून तिमाही	15 जुलाई
सितंबर तिमाही	15 अक्तूबर
दिसंबर तिमाही	15 जनवरी
मार्च तिमाही	15 अप्रैल

(1) विवेकपूर्ण सीमाओं के किसी भी उल्लंघन की सूचना सीएमए -1 रिटर्न में दी जाएगी और इसमें व्यक्तिगत उल्लंघन, इकाई-वार उल्लंघन, क्षेत्र-वार उल्लंघन, आवास (व्यक्तिगत और क्षेत्र दोनों) और विपणन संघों के लिए ऋण में उल्लंघन शामिल होंगे।

(2) ENSURE पोर्टल में प्रकाशित रिटर्न के प्रारूप पर कुछ निदेश अनुबंध-I में दिए गए हैं।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और व्यावृत्ति

21. इन निदेशों के जारी होने के साथ, ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

22. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उनके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;

(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

ख. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

23. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

ग. व्याख्याएं

24. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध - I

ENSURE पोर्टल में सीएमए-1 रिटर्न के प्रारूप पर निदेश/दिशानिर्देश

1. कृपया निर्माता और चेकर के साथ सीएमए-1 रिटर्न को मैप करना सुनिश्चित करें।

2. रिटर्न में एक विकल्प प्रदान किया गया है जहां बैंकों को यह चुनने की आवश्यकता होती है कि क्या उन्होंने संबंधित श्रेणियों में सीएमए मानदंडों के तहत एक्सपोजर का उल्लंघन किया है या नहीं। इकाई-वार, व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तियों को आवास ऋण, क्षेत्र-वार एक्सपोजर, आवास क्षेत्र को दिए गए ऋण और राज्य स्तरीय विपणन संघों के वित्तपोषण में एक्सपोजर। यहां, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ड्रॉपडाउन से 'हां' या 'नहीं' के विकल्प का सावधानीपूर्वक चयन करें क्योंकि यदि विकल्प ठीक से नहीं चुना गया तो यह संबंधित तालिकाओं में डेटा हानि का कारण बन सकता है,

3. बैंकों को बैंक के वित्तीय वर्ष और रेटिंग का चयन करके बैंक के नवीनतम निरीक्षण में नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई रेटिंग दर्ज करनी होती है। नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक की पूंजी निधि और यूनिट-वार एक्सपोजर सीमा के तहत लागू मानदंड, दोनों प्रणाली द्वारा स्वतः दिए जाएंगे।

4. इसी तरह, चयनित रेटिंग के आधार पर, व्यक्तियों के वित्तपोषण की अधिकतम सीमा प्रणाली द्वारा स्वतः भरी जाएगी।

5. बैंकों को इकाई-वार और व्यक्तिगत श्रेणी के तहत उल्लंघन दर्ज करना आवश्यक है। प्रत्येक उल्लंघन को अलग से रिपोर्ट किया जाना चाहिए (यानी उद्योग / क्षेत्र / उद्देश्य-वार)।

6. आवास ऋण के तहत उल्लंघनों - व्यक्तिगत श्रेणी और क्षेत्र-वार को अलग से रिपोर्ट करना होगा। बैंक की निवल मूल्य (नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार) और कुल आस्तियों (पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) के आधार पर, आवास के तहत लागू सीमा-व्यक्तिगत और क्षेत्र-वार प्रणाली द्वारा प्रदर्शित की जाएगी।

7. बैंकों की सुविधा के लिए, बैंक के उधार देने योग्य संसाधनों (एलआर) की गणना (एलआर का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जा रहे पैरामीटर) को रिटर्न में प्रदर्शित किया गया है। बैंक संबंधित क्षेत्रों में 'गैर-वापसी योग्य आरक्षित निधि जमा' और 'ऋण और अग्रिम को छोड़कर कोई अन्य प्रतिबद्धताओं' के तहत राशि, यदि कोई हो, दर्ज कर सकता है और एलआर की गणना इन दो आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। तदनुसार, बैंक गैर-कृषि ऋणों और अग्रिमों के लिए क्षेत्रवार एक्सपोजर और विपणन संघों को भी रिपोर्ट कर सकते हैं।

8. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे रिटर्न जमा करने में किसी भी समस्या/त्रुटि की रिपोर्ट करने के लिए ENSURE पोर्टल के तहत 'पूछताछ मॉड्यूल' का उपयोग करें।

अनुबंध II

निवल मालियत की गणना

31 मार्च ___ को निवल मालियत

(₹ लाख)

क्र.सं.	**विवरण**		**राशि**
1.	चुकता पूंजी (मतदान का अधिकार रखने वाले नियमित सदस्यों से)		
2.	जोड़ें: गैर-वापसी योग्य सरकारी जमा, यदि कोई हो		
3.	जोड़ें: नाममात्र/सहयोगी सदस्यों से एकत्र किए गए योगदान / गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क जो एक उपयुक्त शीर्ष के तहत 'रिजर्व' के रूप में अलग से आयोजित किए जाते हैं क्योंकि ये गैर-वापसी योग्य हैं		
4.	निर्बाध आरक्षित निधियां		
	(i)	सांविधिक आरक्षित निधि	
	(ii)	कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष	
	(iii)	बिल्डिंग निधि	
	(iv)	लाभांश समानीकरण निधि	
	(v)	अन्य निधियां, यदि कोई हों, बाहरी देनदारियों की प्रकृति में नहीं।	
5.	जोड़ें: अवितरित लाभ		
6.	घटाएँ: संचित नुकसान		
7.	घटाएँ: अमूर्त आस्ति		
	31 मार्च ___ को निवल मालियत		